न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म.प्र.

महेन्द्र सिंह तनय श्री भाईलाल सिंह, निवासी ग्राम पोंडी गरादा, तह. उचेहरा, जिला सतना म.प्र. ----- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म.प्र. जरिये राजस्व निरीक्षक उचेहरा, जिला सतना म.प्र.

---- अना./गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध किये जाने सीमांकन दिनांक 8.2.18 सीमांकन द्वारा राजस्व निरीक्षक उचेहरा जिला सतना म.प्र.

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

===

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

01- यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता ने अपने स्वामित्व व कब्जा दखल की भूमि खसरा नंबर 396, 397 रकबा क्रमशः 0.063 हे. व 0.031 हे. स्थित पोंड़ी गरादा तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र. के संबंध में सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक उचेहरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

02- यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता के द्वारा सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर हल्का पटवारी को सीमांकन किये जाने के संबंध में सीमावर्ती कास्तकारों को सूचना तामील करवाये जाने बावत निर्देशित किया गया था।

03- यह कि हल्का पटवारी पोंड़ीद्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता के

....2//

(111)

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/सतना/भू.रा./2018/2397 जिला सतना

महेन्द्र सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18-12-18- | 1. आवेदक की ओर से श्री सुशील सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त उचेहरा तहसील उचेहरा के प्रकरण क्रमांक 0016/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 08-02-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 07-03-2019 को कलेक्टर, जिला-सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |